



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24062020-220127
CG-DL-E-24062020-220127

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1785]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 23, 2020/आषाढ़ 2, 1942

No. 1785]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 23, 2020/ASHADHA 2, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जून, 2020

का.आ. 2010(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्य में ईपीसी मोड पर एनएच-85 और एनएच-19 (छपरा-मांझीघाट खंड) को जोड़ने वाले छपरा बाईपास सहित छपरा-मोहम्मदपुर के एनएच-101 के पेन्ड शोल्डर के साथ चार लेन/दो लेन के लिए व्यवहार्यता अध्ययन और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी अनुरक्षण प्रबंधन और प्रचालन के लिए उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिला, तालुक और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

बिहार राज्य के एनएच-85 और एनएच-19 (छपरा-मांझी घाट खंड) को जोड़ने वाले रिविलगंज - छपरा बाईपास तक के खंड पर भूमि अधिग्रहण के संबंध में।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	जिला भू - अर्जन पदाधिकारी, सारण	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH19 के कि.मी. 139.85 से 129 तक	बिहार	सारण	मांझी	1 मझनपुरा
					रेवेलगंज	1 रामपुर भाट
						2 भदपा
						3 पहलवान परसा
						4 राघोपुर
						5 शेखपुरा
						6 सरैंधा
						7 जिगना
						8 कचनार
						9 परसा
						10 देउरिया
						11 पचपतरा
						12 मुक्रेरा
						13 सिरिसिया
						14 सेमरिया

[फा.सं. RW/PAT/NH-19/Km 139.85 - Km 129/LA/2020-21]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd June, 2020

S.O. 2010(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) the Central Government hereby authorizes the **District Land Acquisition Officer, Saran** as the

competent Authority to perform the function of such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for **Preparation of Feasibility Study and Detailed Project Report for Improvement to Four laning/Two Lane with Paved shoulder of NH-101 of Chhapra - Mohammadpur section including Chhapra Bypass connecting NH-85 & NH-19 (Chhapra – Manjhi Ghat section) in Bihar on EPC Mode** standard & geometric improvement, maintenance management and operation in the state of Bihar as specified in the schedule givenbelow.

SCHEDULE

Acquisition of land in respect of Revelganj - Chhapra Bypass connecting NH-85 & NH- 19 (Chhapra – Manjhi Ghat section) in the state of Bihar.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	District Land Aquisition Officer, Saran	139.85KM To 129KM	BIHAR	SARAN	Manjhi	1 Manjhanpura
					Revelganj	1 Rampur Bhat
						2 Bhadpa
						3 Pahalwan Parsa
						4 Raghampur
						5 Shekhpura
						6 Saraindha
						7 Jigna
						8 Kachnar
						9 Parsa
						10 Deuria
						11 Pachpatra
						12 Mukrera
						13 Sirisiya
						14 Semariya

[F.No. RW/PAT/NH-19/Km 139.85 - Km 129/LA/2020-21]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.